

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक ५० १२(११) राज/वाद/२४

जयपुर दिनांक ०१/०५/२०२४

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष राजस्थान राज्य की ओर से प्रकरणों में पैरवी करने हेतु पूर्व से नियुक्त निम्नांकित (सूची के कॉलम राख्या-२ में वर्णित) पैनल लॉयर्स को कार्यमुक्त कर, उनको आवंटित प्रकरणों में नवनियुक्त पैनल लॉयर्स (सूची के कॉलम राख्या-३ में वर्णित) को राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु निमानुसार अधिकृत किया जाता है:-

क्रमांक	पूर्व में नियुक्त पैनल लॉयर का नाम	नवनियुक्त पैनल लॉयर
(१)	(२)	(३)
०१	श्री हेमेन्द्र जैलिया	श्री क्षितिज मित्तल
०२	श्री आशुतोष शेखर पारचा	श्री दिव्यांक पैवार
०३	श्री अकरम खान	श्री सौरभ राजपाल

आज्ञा से

*Sd-*

(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल / माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
- महालेखाकार, राजस्थान जयपुर
- निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
- निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
- समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नरमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
- समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
- समस्त जिला कलक्टर्स/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
- रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
- अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- श्री हेमेन्द्र जैलिया, श्री आशुतोष शेखर पारचा एवं श्री अकरम खान अधिवक्ता को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आपको आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां क्रमशः श्री क्षितिज मित्तल, श्री दिव्यांक पैवार एवं श्री सौरभ राजपाल, पैनल लॉयर्स, नई दिल्ली को रांभलवाकर कार्यमुक्त होवें।
- विधि विभाग के समस्त प्रकार्य।
- आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

*मृग्नी*  
शासन सचिव, विधि